न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 75/2017 G.C.M.S. No. 2018/00010 दर्ज दिनांक : 01.11.2017

अपीलार्थिगण:

1. बच्चुलाल पुत्र धन्नाजी गोदपुत्र शंकरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी भादुंद, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नेनमल पुत्र कपूरजी
2. देवराज पुत्र कपूरजी
3. मंजू बेवा दिनेश कुमार, जातिगण ब्राह्मण, निवासी भादुंद, तहसील बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 43 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 326/2015 बअनवान नैनमल बनाम बच्चूलाल में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017

पैरोकार–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, श्री चन्द्रगुप्त चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिलीप जांगिड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 30.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 43 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 326/2015 बअनवान नैनमल बनाम बच्चूलाल में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट ने एक दावा व 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें दिनांक 30.11.2012 को न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया था कि खसरा नम्बर 749 में से रकबा 150 बाई 37 फीट जो खसरा नम्बर 748 के उत्तर दिशा में स्थित है, के संबंध में रेकर्ड के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दोनों पक्षों के संबंध में हुआ था। रेस्पोंडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.11.2015 को कन्टेम ऑफ कोर्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट को सुने व केम्प में पेशी रखी गई, जबकि मुकदमा रेस्पोंडेण्ट से जिरह हेतु दिनांक 18.04.2017 को पेशी मुकर्रर की थीं व उसके बाद पत्रावली बिना किसी सूचना के दिनांक 19.05.2017 को राजस्व केम्प में रखी गई व उसमें न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा खसरा नम्बर 749 के संबंध में मौके की यथास्थिति का आदेश दिया व पूर्व की स्थिति दिनांक 30.11.2012 को बहाल करने का आदेश दिया, जबकि उपरोक्त मुकदमे में रेस्पोंडेण्ट से जिरह नहीं हुई, न ही अपीलाण्ट को सुना गया, न ही अपीलाण्ट को कोई पेशी का नोटिस था, न ही अपीलाण्ट ने कही पर भी यह स्वीकार किया कि उसने मौके की स्थिति बदली हैं। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो यथास्थिति का आदेश दिया था वो खसरा नम्बर 749 में 150 बाई 37 फीट भूखण्ड के संबंध में था, न ही सम्पूर्ण खसरा नम्बर के संबंध में था। परन्तु इस संबंध में न्यायालय ने कोई जांच नहीं की, न ही कोई साक्ष्य ली व बिना अपीलाण्ट को सुने व बिना अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर आदेश पारित कर दिया। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में भी जांच नहीं की कि किस तरीके का यथास्थिति का उल्लघंन किया गया है व मौके की स्थिति में क्या बदलाव किया गया है व पूर्व के मौके कि स्थिति क्या थीं व वर्तमान में क्या स्थिति है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेण्ट का कब्जा बताते हुए मुकदमे का फैसला किया है जबकि पूर्व में जो आदेश पारित हुआ है उसमें भी रेस्पोंडेण्ट का कब्जा कहीं स्वीकार नहीं किया गया था। बल्कि दोनों पक्षों को यथास्थिति का आदेश था व मौके की स्थिति बनाये रखने का आदेश था। उसमें कहीं भी रेस्पोंडेण्ट का कब्जा स्वीकार नहीं किया गया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने यह कहकर की अपीलाण्ट के पुत्र व पति ने मौके की स्थिति में परिवर्तन किया है, जबकि वो मुकदमे में पक्षकार ही नहीं हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में बिना कोई जांच किये अवमानना का अपीलाण्ट को दोषी मानने का जो आदेश दिया है, वह सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 सीपीसी में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 06.10.2017 को प्रस्तुत की। जो विलंब के साथ प्रस्तुत हुई। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थीं। अपीलांट के सिर्फ हस्ताक्षर रेस्पोंडेंट से जिरह हेतु समय मांगने के लिए करवाए थें। अपीलांट को दिनांक 19.05.2017 के आदेश की जानकारी दिनांक 01.09.2017 को हुई तथा दिनांक 07.09.2017 को नकल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी से संबंधित है तथा आदेशिका दिनांक 21.03.2017 को पत्रावली जिरह हेतु आगामी दिनांक 18.04.2017 को नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 19.05.2017 को लोक अदालत कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी से संबंधित था। जिसमें अप्रार्थी का जवाब प्राप्त किया जाकर विवाद्यक/आरोप बिंदु कायम किए जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य, जिरह व बहस का युक्तियुक्त अवसर देते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित किया जाना कानूनन अपेक्षित होता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में विवाद्यक/आरोप बिंदु कायम नहीं किए तथा पत्रावली सीधे साक्ष्य प्रार्थी में नियत की गई। जो दिनांक 21.03.2017 की आदेशिका अनुसार प्रार्थी के गवाह से अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु दिनांक 18.04.2017 को नियत की गई तथा आगामी आदेशिका दिनांक 19.05.2017 को अंकित करते हुए पत्रावली लोक अदालत अभियान में नियत की जाकर प्रार्थी गवाह से जिरह पूर्ण करवाए बिना तथा अपीलांट अप्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना प्रार्थना पत्र बखूबी साबित मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अप्रार्थी को पाबंद किया गया कि वह वादग्रस्त भूमि भाटुंद के खसरा संख्या 749 के मौके की दिनांक 30.11.2012 की स्थिति बहाल करें। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य व बचाव का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 43 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 326/2015 बअनवान नैनमल बनाम बच्चूलाल में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली